

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय बागान के कामगार

4858. श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) फरवरी, 2025 तक मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चाय बागान के लाभार्थी कामगारों की संख्या कितनी है;
- (ख) उक्त योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं और इनके अंतर्गत किन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है; और
- (ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित किन-किन राज्यों को लाभ होने की संभावना है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (ग): देश में चाय बागान कामगारों की कार्य दशा का नियमन बागान श्रम अधिनियम, 1951 द्वारा होता है, जिसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

चाय बोर्ड अपनी 'चाय विकास और संवर्धन योजना (टीडीपीएस)' के माध्यम से चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करता है:

- i. श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर
- ii. बड़े चाय बागान के श्रमिकों और छोटे चाय उत्पादकों (1.00 हेक्टेयर तक) के बच्चों को मेधावी छात्रों (दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए) के लिए शैक्षिक सहायता और पुरस्कार,
- iii. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बंद चाय बागानों और बड़े चाय बागानों के श्रमिकों के बच्चों को पुस्तक और यूनिफार्म संबंधी अनुदान
- (iv) बंद पड़े चाय बागानों में कामगारों के निशक्त और गंभीर रूप से बीमार आश्रितों (गुर्दे, हृदय, यकृत रोग और कैंसर) के लिए सहायता

चाय बोर्ड के उपर्युक्त क्रियाकलाप बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए कल्याण उपायों के अनुरूप हैं।

इस योजना के तहत, चाय बोर्ड ने वर्ष 2017-18 से 2024-25 (फरवरी तक) तक 28348 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है। 'चाय विकास और संवर्धन योजना' सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश भर में क्रियान्वित की गई है।
